



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, सोमवार 10 नवम्बर, 2025 ई०

कार्तिक 19, 1947 शक सम्बत्

उत्तराखण्ड शासन

पंचायतीराज अनुभाग-1

संख्या- 342900/XII(1)/2025/ई-21240

देहरादून, 10 नवम्बर, 2025

अधिसूचना

उप-निर्वाचन

उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम-2016 (यथासंशोधनों सहित प्रवृत्त) की धारा-14 की उपधारा (3), धारा-59 की उपधारा 3 तथा धारा-96 की उपधारा-3 के प्रावधानों के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के सामान्य निर्वाचन, 2025 में विभिन्न कारणों से रिक्त रह गये/हुए सदस्य-ग्राम पंचायत, प्रधान-ग्राम पंचायत, सदस्य-क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य-जिला पंचायत के पदों/स्थानों (जो मा.न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों) पर उप निर्वाचन कराये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित समय-सारणी निर्धारित करते हैं:-

1. शासन द्वारा अधिसूचना निर्गत किया जाना : दिनांक 10.11.2025 (सोमवार)
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना निर्गत किया जाना : दिनांक 11.11.2025 (मंगलवार)
3. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिसूचना निर्गत किया जाना : दिनांक 11.11.2025 (मंगलवार)

नामांकन की तिथियां	नामांकन पत्रों की जांच की तिथि	नामांकन वापसी एवं निर्वाचन प्रतीक चिन्ह का आवंटन की तिथि	मतदान की तिथि	मतगणना की तिथि
13.11.2025 एवं 14.11.2025	15.11.2025	16.11.2025	20.11.2025	22.11.2025

आज्ञा से,
डा. पराग मधुकर धकाते,
विशेष सचिव।